23/11/2022 पत्रावली पेश हुई पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 का इत्यादि का अवलोकन किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम भोमनगर में रेस्पो0 संख्या एक की खातेदारी की कृषि भूमि ख0सं0 297/1 रकबा 9.7124 हैक्टर भूमि तथा आई हुई होने तथा पडौस में अपीलान्ट की खातेदारी की ख0सं0 297/3 रकबा 6.1512 हैक्टर व ख0सं0 297/4 रकबा 6.1512 हैक्टर भूमि के मध्य सीमा विवाद होने के कारण सीमाचिन्ह स्थापित करते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक की खातेदारी वाली भूमि का राजस्व टीम गठित कर सीमाज्ञान चिन्हित कर पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार आउ को आदेशित किया गया है। अपीलार्थीया के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील यह अंकित करते हुए कि अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश को संशोधित किया जाकर प्रकरण में दोनों पक्षो की उपस्थिति में उपरोक्त कार्यवाही सम्पादित करने हेतु तहसीलदार आउ को निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीया की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.10.2022 को आंशिक संशोधित किया जाकर तहसीलदार, आउ को निर्देशित किया जाता कि दोनों पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाइश व तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय आज दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

25.11.22 अधिवक्ता अधिवक्ता के द्वारा आज प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 151, 152 CPC के तहत में पेश हुई।

प्रार्थना पत्र के पेश होने पर अपील आदेश का अवलोकन किया जिसके तहत में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 23.11.2022 के अन्तिम पैरा में संशोधन करते हुए "दोनों पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में उक्त भोमनगर के ख.सं. 297/1, ख.सं. 297/3 एवं ख.सं. 297/4 की पैमाइश व तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही